प्रेषक,

श्री विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख वित्त सचिव एवं
निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

संख्या-सामूहिक बीमा-बे०फण्ड-29/1988 लखनऊ :: 24 जून-1988

विषय:- सेवारत मृत सरकारी सेवकों के अध्ययनरत् उदीयमान पुत्रों/पुत्रियों को अध्ययन पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड से सहायता।

महोदय,

कभी-कभी सरकारी सेवकों की सेवारत मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रों/पुत्रियों का अध्ययन कार्य रुक जाता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव प्रतिभावान पुत्रों/पुत्रियों पर तो पड़ता ही है; साथ ही परिवार को भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सहायता नही मिल पाती। अत: यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित सेवारत मृत सरकारी सेवकों के ऐसे उदीयमान पुत्रों/पुत्रियों को जो अत्यन्त प्रतिभावान हों, अध्ययन जारी रखने हेतु उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड से सहायता दी जाए। यह सहायता, निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन देय होगी:--

(1) यह सहायता सेवारत मृत सरकारी सेवकों के उन पुत्रों/पुत्रियों को देय होगी जिन्होंने यू०पी०बोर्ड की हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में प्रथम दस स्थान प्राप्त किये हों। मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कक्षाओं में सरकारी सेवक की मृत्यु तिथि को अध्ययनरत पुत्रों/पुत्रियों में से वे ही इस सहायता के पात्र होंगे जिन्होंने मेडिकल/इंजीनियरिंग कालेजों में अपने ब्रांच में प्रथम पांच स्थान प्राप्त किये हों। इस मामले में यह सहायता इंजीनियरिंग तथा मेडिकल के उस कोर्स को पूरा करने की अवधि तक ही दी जाएगी जिसमें सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि को उसके पुत्र/पुत्रियाँ अध्ययनरत थे। इसी प्रकार स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी सरकारी सेवक की मृत्यु तिथि को अध्ययनरत उनके उन पुत्रों/पुत्रियों

----2

को सहायता दी जाएगी जो संबंधित विश्वविद्यालयों/विधालयों में उक्त परीक्षाओं में प्रथम पाँच रैंक्स में स्थान रखते हों। इन मामलों में भी उक्त कोर्स को पूरा करने के लिए ही सहायता दी जाएगी, परन्तु किसी भी मामले में दी जाने वाली सहायता की अवधि चार वर्षों से अधिक नहीं होगी।

§2§ इंजीनियरिंग/मेडिकल की कक्षाओं में अध्ययनरत् मृत सरकारी सेवकों के सहायता के पात्र पुत्रों/पुत्रियों को रूपये छः सौ प्रतिमाह की दर से सहायता देय होगी। स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् मृत सरकारी सेवकों के सहायता के पात्र उन पुत्रों/पुत्रियों को रूपये चार सौ प्रतिमाह की दर से सहायता देय होगी, जो छात्रावासी छात्र हैं। गैर छात्रावासी छात्रों के लिए सहायता की यह धनराशि रूपये एक सौ पचास प्रतिमाह होगी। इसी प्रकार कक्षा-11 व कक्षा-12 में अध्ययनरत मृत सरकारी सेवकों के सहायता के पात्र उन पुत्रों/पुत्रियों को रूपये तीन सौ प्रतिमाह की दर से सहायता देय होगी, जो छात्रावासी छात्र हैं। गैर छात्रावासी छात्रों के लिए सहायता की यह धनराशि रूपये एक सौ प्रतिमाह होगी।

§3§ उपर्युक्त सहायता एक वर्ष में दस माहों के लिए ही देय होगी और इसका भुगतान वर्ष में केवल एक बार ही किया जाएगा।

§4§ सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि को अध्ययनरत पुत्र/पुत्री वयस्क है तो सहायता की धनराशि का भुगतान उसे ही किया जाएगा। यदि — अवयस्क है तो इस धनराशि का भुगतान उसके प्राकृतिक संरक्षक को किया जाएगा। यदि प्राकृतिक संरक्षक की भी मृत्यु हो चुकी हों तो इस धनराशि का भुगतान "गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट" के अंतर्गत नियुक्त विधिक संरक्षक को किया जाएगा।

§5§ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर देने मात्र से प्रार्थी को सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा।

सहायता प्राप्त करने के लिए इस संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी :----

§1§ सहायता के लिए प्रार्थना-पत्र संलग्नक-1 में भरकरके तीन प्रतियों में प्रशासकीय विभाग/कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना होगा।

§2§ प्राप्त प्रार्थना-पत्र की तीनों प्रतियों पर प्रशासकीय विभाग के अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रविष्टियाँ पूर्ण करके तथा हस्ताक्षर करके तीनों

—3

प्रतियाँ प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष को भेजी जाएगी।

§3§ प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष तीनों प्रतियों को संलग्नक-2 के पत्र के साथ संयोजक, उत्तर प्रदेश इम्पलाइज़ बेनोवोलेण्ट फण्ड को भेजेगें।

§4§ संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश इम्पलाइज़ बेनोवोलेण्ट फण्ड के संयोजक एवं कोषाध्यक्ष हैं, ऐसे प्रार्थना पत्रों के प्राप्त होने पर, जो उपर्युक्त शर्तों व प्रतिबन्धों को पूरा करते हों और जिनके संबंध में कोई विवाद न हो, सहायता की धनराशि के स्वीकृत आदेश जारी करेगें और भुगतान के लिए एकाउण्टपेयी चेक जारी करेगें।

§5§ कोषाध्यक्ष द्वारा संलग्नक-1 की तीनों प्रतियों पर स्वीकृत धनराशि तथा एकाउण्टपेयी चेक का सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जाएगा। इसके उपरांत संलग्नक-1 की एक प्रति संयुक्त निदेशक के कार्यालय में रोक ली जाएगी तथा एकाउण्टपेयी चेक एवं संलग्नक-1 की दो प्रतियाँ प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष को भेजी जाएगी। प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय में इस प्रयोजन हेतु रक्खे जा रहे रजिस्टर में प्रविष्टियों को अंकित किया जाएगा तथा संलग्नक-1 की एक प्रति एकाउण्टपेयी चेक सहित उस प्रशासकीय विभाग के अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को भेजी जाएगी जिसने संलग्नक-1 के प्रार्थना-पत्र को प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष को अग्रसारित किया है। चेक प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी उसे प्रार्थी को प्राप्त करायेगें और प्राप्ति रसीद तीन प्रतियों में प्राप्त करेगें। एक प्रति कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश इम्पलाइज़ बेनोवोलेण्ट फण्ड को, एक प्रति संबंधित प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष को भेजी जाएगी तथा एक प्रति वे अपने कार्यालय में सुरक्षित रक्खेगें। संयुक्त निदेशक अपने कार्यालय में इस प्रयोजन हेतु समुचित अभिलेख भी रक्खेगें।

§6§ जिन मामलों में इस शासनादेश की शर्तें पूरी न होती हो, विवाद हो अथवा संदेह की स्थिति हो, उनमें प्रबन्ध समिति का निर्णय प्राप्त किया जाएगा, जो अन्तिम होगा।

सहायता की यह योजना दिनांक 1.4.1988 से लागू होगी। उक्त तिथि को अथवा उसके पश्चात् यह योजना उन सभी शासकीय सेवकों पर लागू

---4

हैं/होगो,जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित हैं/होगें।

भवदीय,

(विजय कृष्ण सक्सेना)
प्रमुख वित्त सचिव
एवं निदेशक।

संख्या सामूहिक बीमा- /1988,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:----

1. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2. विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय।
3. श्री राज्यपाल का सचिवालय।
4. महालेखाकार,उत्तर प्रदेश-I,इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(जे0 बी0 सिंह)
संयुक्त निदेशक

संलग्नक-1
x=========x

सेवा में,

प्रशासकीय विभाग/
कार्यालयाध्यक्ष, कार्यालय का नाम
व पूर्ण पता।

विषय:- सेवारत मृत सरकारी सेवकों के अध्ययनरत उदीयमान पुत्र/पुत्रियों को अध्ययन पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनोवोलेन्टफण्ड से सहायता।

महोदय,

निवेदन है कि मेरे पिता*/माता* का सेवारत अवस्था में देहांत दिनांक- - - - - - - को हो गया था, जिसका पूर्ण विवरण नीचे दिया जा रहा हैं:------

1.	प्रार्थी का नाम	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.	प्रार्थी के पिता*/माता* (जो भी सरकारी सेवक थे) का नाम	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.	क्या प्रार्थी के माता तथा पिता दोनों सरकारी सेवक थे?	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.	प्रार्थी के पिता*/माता* (जो भी सरकारी सेवक थे) की मृत्यु का दिनांक	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.	प्रार्थी के पिता*/माता* (जो भी सरकारी सेवक थे) की जन्मतिथि	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.	प्रार्थी के माता व पिता में से जो भी जीवित हो उनके आय के स्रोत और समस्त स्रोतों से होने वाली औसत मासिक आय	- -
7.	प्रार्थी की जन्मतिथि	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8.	मृत्यु तिथि को अध्ययनरत कक्षा व कोर्स	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.	कहाँ अध्ययनरत है?	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.	(क) हाईस्कूल परीक्षा में प्रदेश में स्थान	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	(ख) इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश में स्थान	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P. Singh

----2

शासन के प्रशासकीय विभाग/
कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय के-प्रयोगार्थ
x=====================================x

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री- - - - - - - - - - - - - - इस
(सरकारी सेवक का नाम)
कार्यालय में - - - - - - - - - -के पद पर कार्यरत थे जहाँ सेवारत अवस्था में
(पद का नाम)
दिनांक-- - - - - - -को उनकी मृत्यु हो गयी थी। मृत्यु की तिथि को उनका
पुत्र/उनकी पुत्री श्री/कु०- -
(पुत्र/पुत्री का नाम) (शिक्षण संस्था का नाम)
में अध्ययनरत् था/थी। उसका/उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण निम्नवत् है:--

उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत	प्रदेश/विश्वविद्यालय/ इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कालेज में रैंक
हाईस्कूल				
इण्टरमीडिएट				
स्नातक				
स्नातकोत्तर				
इंजीनियरिंग/मेडिकल परीक्षा-- प्रथम वर्ष				
"" "" द्वितीय वर्ष				
"" "" तृतीय वर्ष				
"" "" चतुर्थ वर्ष				
अन्य परीक्षा				

[signature]

प्रार्थी की जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यताओं तथा हैंडस एवं छात्रावासी होने के प्रमाण-पत्र, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हैं, भी संलग्न हैं। इन्हें इस अध्ययन को जारी रखने के लिए उत्तर प्रदेश इम्पलाइज़ वेलफेयर फण्ड से सहायता दी जानी उचित प्रतीत होती है। पात्रता के संबंध में मैंने अपने को आश्वस्त कर लिया है। अतः इन्हें अनुमन्य सहायता दिये जाने की संस्तुति दी जाती है। सहायता की धनराशि का प्रथम बार भुगतान प्रार्थी को तभी किया जाएगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उसका अध्ययन जारी है। प्रथम बार धनराशि का भुगतान करने के उपरांत सम्पादित परीक्षा की अंक-तालिका तथा रैंक का प्रमाण-पत्र भी संलग्न है।

संलग्नक:-उपर्युक्तानुसार।

x==========x

प्रशासकीय विभाग के अधिकारी/
कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर- - - - -
हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम - - - - - -
हस्ताक्षरकर्त्ता का पदनाम - - - - -
कार्यालय की मुहर - - - - - - - -

टिप्पणी:-जो लागू न हो उसे काट दें।

संलग्नक-2
x==========x

प्रेषक,

शासन स्तर पर प्रशासकीय
विभाग/विभागाध्यक्ष,
कार्यालय का नाम व पूर्ण पता।

सेवा में,

संयोजक,
उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड,
विकास दीप, चतुर्थ तल (छठा लेविल),
22, स्टेशन रोड, लखनऊ।

विषय:- सेवारत सरकारी सेवक श्री --------पदनाम-----
कार्यालय का नाम-------------के पुत्र[x]/पुत्री[x] श्री[x]/
कु०[x] ----------------को अध्ययन पूर्ण करने हेतु उत्तर
प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड से सहायता के प्रार्थना-पत्र का अग्रसारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित श्री[x]/कु०[x] -----------के प्रार्थना-पत्र को अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि प्रार्थी को अनुमन्य सहायता स्वीकृत करने का कष्ट करें। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थना-पत्र का अग्रसारण प्रथम बार ही किया जा रहा है और इससे पूर्व उक्त प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेन्ट फण्ड से सहायता का कोई चेक प्रार्थी के नाम नहीं प्राप्त हुआ है। प्रार्थी की मांग उचित है।

कृपया सहायता का चेक शीघ्र भेजें।

भवदीय,

प्रशासकीय विभाग के अधिकारी/
विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर-------
हस्ताक्षरकर्ता का नाम -------
हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम ------

टिप्पणी:-[x] जो लागू न हो उसे काट दें।